


भवन में हॉबिताम सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना होगा।


इस बावत पक्ष/आवेदक को शपथ पत्र देना होगा।

11. स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रसंगगत आरपता के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक की होगी तथा विवाद उत्पन्न होने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
12. पक्ष को प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित सड़क विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण कार्य कराना होगा। इस हेतु शपथ पत्र देना होगा।
13. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं अभिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र, भू-स्वामी/बिल्डर/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा तभी मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जायेगी।
14. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा, इस हेतु भी शपथ पत्र देना होगा।
15. शासनादेश संख्या-3338/आठ-1-11-80विविध/2010 दिनांक 26.09.11 के परिपेक्ष्य में विकासकर्ता को क्रास साल्सीडाइजेशन के माध्यम से ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के निर्माण में इंगित समस्त बिन्दुओं का पालन एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शासनादेश का उल्लंघन करने की दशा में अगर कोई विधिक कार्यवाही होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक की होगी। इस आशय का शपथ पत्र पक्ष को देना होगा।
16. पक्ष को नियमानुसार समस्त अपेक्षाएं पूर्ण करनी होगी।
17. अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी की गयी अनापत्ति में वर्णित शर्तों का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को करना होगा। इस हेतु शपथ पत्र देना होगा।
18. अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी की गयी अनापत्ति में वर्णित शर्तों की आवेदक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा अधिवासित होने से पूर्व भवन में स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण/परीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, का पालन करना होगा।
19. पक्ष को एवं आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर को पक्ष जिम्मेदार करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट की होगी।

20. बसमेंट की प्रस्तावना को संशोधन जॉइन्ट से प्रमाणित करवाया जायेगा। प्रस्तावित स्ट्रक्चरल डिजाइन अंग्रेजी कागज पर प्रमाणित करवाया जायेगा। इस हेतु शपथ पत्र देना होगा।
21. भवन के अनुवर्तित तल यथा-13 व 14 फ्लोर पर सेटबैक में कमरों या प्रसैंट से कोई पहुँच नहीं होगी। स्ट्रक्चरल डिजाइन को आई0आई0टी0, रुड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्देशित तकनीकी संस्थान से स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।
22. समस्त अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही मानचित्र निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर से अधिक है। पक्ष मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा, इस आशय का शपथ पत्र पक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

  
सहायक अभियन्ता।



# वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सजा है,

श्री महन्त सत्यदेव दास सतनामी चेला  
 स्थो महन्त विश्वनाथ दास सतनामी दगैरह,  
 आराजी संख्या-174, 175, 176 एवं 177 मौजा-दौलतपुर,  
 परगना-शिवपुर, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी।

पत्रांक : 21/12/वि0प्रा0/फिनात/2012-13

दिनांक : 9-11-12

विषय : ~~मुद्दा~~ आराजी संख्या-174, 175, 176 एवं 177 मौजा-दौलतपुर परगना-  
 शिवपुर, वार्ड- सिकरौल, वाराणसी पर ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के सम्बन्ध  
 में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने अविदन पत्र दिनांक 27.08.2012 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है। निम्नानुसार धनराशि दिनांक-17-11-12 जमा करने का कष्ट करें :-

1. सुपरविजन शुल्क	96,957.00
2. वाह्य विकास शुल्क 50 प्रतिशत	11,35,792.00
3. आन्तरिक विकास शुल्क 50 प्रतिशत	5,84,437.00
4. सब डिवीजन शुल्क	4,41,084.00
5. सिटी डेवलपमेन्ट शुल्क (क्रय योग्य एफ0ए0आर0)	70,32,864.00
<b>योग-</b>	<b>92,91,134.00</b>

(रु0 बानबे लाख एक्यानबे हजार एक सौ चौतिस मात्र)

6. पक्ष को भूखण्ड पर 28 पेड़ लगाने होंगे।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार स्थल पर करना होगा साथ ही साथ रु0 50,000.00 का एफ0डी0आर0 जमानत स्वरूप पाँच वर्षों हेतु सचिव, विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक जमा करना होगा।
8. स्टिल्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का प्राविधान किया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट फ्लोर की छत भूतल के लेवल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेंटीलेशन की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही फ्लोर का स्लैब, डिफाइन्ड जॉइंट, कास्टिंग टेण्डर का भार वहन करने हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष, आरेख को पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक पक्ष को किसी भी प्रकार का उपयोग/संपन्नता कदापि नहीं करनी होगी।